>

Title: Reported terrorist attack on the Dargah of Khwaja Moinnuddin Chisti in Ajmer, Rajasthan and need to enforce stringent laws to check such incidents in the Country.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर सभापति महोदय, सांप्रदायिक सौहार्द्रता के लिए विख्यात अजमेर शहर की विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मुख्य मज़ार अहाता-ए-नूर के निकट बृहस्पतिवार दिनांक 11 अक्तूबर, 2007 के सायं 6 बजकर 16 मिनट पर रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा इफ़्तार कर रहे लोगों को बम से निशाना बनाया गया। संभवतः मोबाइल फोनसैट के जरिये कराये गये इस विस्फोट में तीन लोगों की मौत हो गई और 28 आदमी घायल हो गए। यह बम विस्फोट का कुकृत्य बेशुमार लोगों की आस्था पर चोट तथा ईद, नवरात्र और दीपावली की आती खुशियों में ज़हर घोलने हेतु आतंकवादियों द्वारा अमन चैन समाप्त करने, सामुदायिक अशान्ति उत्पन्न करने के लिए सोची समझी योजना के अनुसार किया गया था। यह तो ईश्वर की कृपा रही, अन्यथा बड़ा भारी हादसा हो सकता था।

महोदय, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार आज तक इस बम विस्फोट के पीछे के षडयंत्रकारियों का पता नहीं लगा पाई है। दरगाह एक्ट, 1955 के अंतर्गत भारत सरकार दरगाह की आंतरिक सुरक्षा और सुव्यवस्था के लिए ज़िम्मेदार है। देश जानना चाहता है कि इस हादसे के पीछे कौन से आतंकवादी संगठन का हाथ था और कैसे ये तत्व दरगाह में प्रवेश कर गए? भविष्य में इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या इंतज़ाम किये गये हैं? लोगों की आस्था के केन्द्र दरगाह शरीफ तथा पुष्कर की सुरक्षा के क्या इंतज़ाम किए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके? दरगाह शरीफ़ के प्रांगण में सभी प्रकार के अतिक्रमणों को हटाया जाए तथा दरगाह शरीफ तथा आसपास के क्षेत्र में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। दोषी लोगों तथा संगठन का पता लगाकर दोषियों को कठोर सज़ा दी जाए।

मेरा भारत सरकार के गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अविलंब वक्तव्य दें और दोषी आतंकवादी संगठनों के लिए पोटा जैसे कड़े कानून को लागू करते हुए उन षडयंत्रकारियों को गिरफ्तार किया जाए।